अरेराज, पूर्वी चम्पारण। आदेश दिनांक 25.01.2024

दिनांकः 25.01.2024 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 22.09.2022 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 तथा धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि बदौरान मुकदमा प्रतिवादीगण ने एक राय और मेल से वादी को विवादित जमीन से बेदखल कर दिया है जिसके कारण वादी को संशोधन करना आवश्यक है यह कि अर्जी दावा के पैरा 5 के बाद एक नया पैरा 5क जोड़ दिया जाए तथा दादरसी न0 ख के बाद एक नया दादरसी ख1 जोड़ दिया जाए तथा अर्जी दावे के पैरा 6 के प्रथम पंक्ति में बरोज 9.11.2016 के बाद निम्न वाक्य जोड़ा जाएगा , वो भी बरोज 09.09.2022 जिस रोज मनमुदईयान को बदौरान मुकदमा हाजा बेदखल कर दिया गाय वो पैरा 6 के दूसरे पंक्ति में शब्द दावा को काटकर शब्द कब्जा दर्ज किये जाने की इजाजत देने की कृपा करें। ।

प्रतिवादी ने आवेदन का विरोध किया और कहा कि प्रस्तुत आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है और वादी का यह कथन की उनको तकरारी जमीन से बेदखल कर दिया गया है गलत है । प्रतिवादी का तकरारी जमीन पर पहले से ही दखल है जिसका खुलासा बयान में कर दिया गया है अतः वादी के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन तथा प्रतिउत्तर का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा अपने अर्जी नालिस में जो संशोधन चाहा गया है वह संशोधन विचारण प्रारंभ होने के बाद दिया गया है चूंकि कोई भी संशोधन सामान्य स्थितियों में विचारण के पूर्व हो जाना चाहिए परंतु प्रस्तुत मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि वादी द्वारा दिया गया संशोधन औपचारिक प्रकृति के हैं और उसका वाद में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन हेतु आवश्यक हैं अत वादी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को 1000रु खर्चे जो मोतिहारी न्यायालय के नजारत में जमा किया जाएगा के साथ स्वीकृत किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।